

### असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—बच्ड 3—उप-बच्ड (ii) PART न Section 3—Sub-section (ii)

त्राधिकार से त्रकांकित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं॰ 65] No. 65] तदी विल्ली, बुधवार, फरवरी 24, 1982/फाल्लुन 5, 1903

NEW DELHI, WEDNESDAY, FEBRUARY 24, 1982/PHALGUNA 5, 1903

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संस्था की जाती है किससे कि यह अलग संकलन के रूप में

रका भासके

Separate puging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

## नौबहन और परिवहन मन्नालय

(पत्तन पक्ष)

मधिसुधनाए

नई दिल्ली, 24 फरवरी, 1982

कार शार 92(श्र) — केस्ब्रीय सरकार, सार्वजिनिक परिसर (ग्रप्राधिकृत कब्जे की बेचवारी) अधिनियम, 1971 (1971 का 40) की धारा 3 द्वारा प्रवन्त शक्तियों क प्रयोग करते हुए तीचे निखी मारणी के स्तम्म (1) में लिखे प्रधिकारी को जो मार्मुगाव पत्तन न्यास में भारत सरकार के राजपन्नित प्रधिकारी के रैक के समकक्ष प्रधिकारी है, ज़क्त प्रधिनियम के प्रयोजन के लिए सम्पदा प्रधिकारी नियुक्त करती है भीर बहु उन प्रक्तियों का प्रयोग करेगा भीर वे कार्य करेगा जो उक्त धिनियम द्वारा या इस के प्रधीन सम्पदा प्रधिकारी को करने होते है। यह प्रपत्ती शाक्तियों का प्रयोग प्रभने कार्य उक्त सारणी के स्तम्भ (2) में तबनुख्यी प्रविध्दि में उल्लिखित सार्वजिनक परिसर के सबन्ध में प्रपत्ते प्रधिकार क्षेत्र की स्थानीय सीमा में करेगा।

#### सारची

मस्मिकारी का यवनाम	सार्वेश्वनिक परिसर चौर व्यक्तिकार श्रोतः की स्थानीय सीमाएं
(1)	(2)
सन्त्रियः, मा <b>र्जु</b> गावः <del>वराम स्थासः,</del> मार्मुगाव (गोनः)	मार्मुगाव पत्तन की सीमाधी के प्राप्तर मार्मुगाव पत्तन न्याम प्रश्लिस्ट कर

[स॰ पी अस्त्यू/पी एल-14/81]

# MINISTRY OF SHISPING'& TRANSPORT (Ports Wing)

#### **NOTIFICATIONS**

New Delhi, the 24th February, 1982

S.O. 92(E).—In exercise of the powers conferred by section 3 of the Public Premises (Eviction of Unauthorised Occupants) Act, 1971 (40 of 1971), the Central Government hereby appoints the Officer mentioned in column (1) of the Table below, being officer of the Mormugao Port Trust equivalent to the rank of a Gazetted officer of the Government of India, to be Estate Officer for the purposes of the said Act, and who shall exercise the powers conferred and perform the duties imposed on Estate Officer by or under the said Act, within the local limits of his respective jurisdiction in respect of the public premises specified in the corresponding entry in column (2) of the said Table.

#### THE TABLE

Designation of the Officer	Categories of public premises and local limits of jurisdiction	28 n,
r 1 (1)	الإيداد (25) من المال الد	_
Secretary, Mormugao Port Trust, Mormugao (Goa)	Premises of Mormugao Post True within the limits of Post Mormugao.	of

.[No.PW#GL-##H]

कां० का० 93(ब्र) — केन्द्रीय सरकार, मार्वजनिक परिसर (अप्राधिकृत कको की बेवबाली) प्राधिनियम, 1971 (1971 का 40) की धारा 3 द्वारा प्रवत्त प्रिक्तियों का प्रयोग करते हुए, नीचे लिखी मारणी के स्तम्म (1) में लिखी प्रधिकारी को, जो कांडला पत्तन ग्यास में भारत सरकार के राजपवित प्रधिकारी के रैंक के समकक्ष प्रधिकारी हैं, उक्त प्रधिनियम के प्रयोजन के लिए सम्पदा प्रधिकारी नियुक्त करती है भौर यह उन प्राक्तिओं का प्रयोग करेगा भीर वे कार्य करेगा जो उक्त प्रधिनियम ग्रारा या इसके प्रधीन सम्पदा प्रधिकारी को करने होते हैं। वह प्रपनी प्रक्तियों का प्रयोग भीर प्रपने कार्य उक्त सारणी के स्तम्भ (2) में तवनुक्पी प्रविद्ध में उल्लिखित सार्वजनिक परिसर के सबध में प्रपने प्रधिकार क्षेत्र की स्थानीय सीमा में करेगा।

# सारजी श्रिधकारी का पदनाम सार्वजिनिक परिसर और अधिकार क्षेत्र की स्थानीय सीमाएं (1) (2) उपर्ताचव, कोडला पत्तन की सीमाओ के अस्वर कोडला पत्तन न्यास, गांधीधाम, कच्छ

[सं० पी डब्ल्यू/पी जी एल-14/81]

S.O. 91(E).—In exercise of the powers conferred by section 3 of the Public Premises (Eviction of Unauthorised Occupants) Act, 1971 (40 of 1971), the Central Government hereby appoints the officer mentioned in column (1) of the Table below, being officer of the Kandla Port Trust and being equivalent in the rank of a Gazetted Officer of the Government of India, to be Estate Officer for the purposes of the said Act, and who shall exercise the powers conferred, and perform the duties imposed on Estate Officer by or under the said Act, within the local limits of his respective jurisdiction, in respect of the public premises specified in the corresponding entry in column (2) of the said table.

THE TABLE

Designation of the Officer	Categories of public premises and local limits of jurisdiction.
(1)	(2)
Deputy Secretary, Kandla Port Trust, Gandhidham-Kutch,	Premises of Kandla Port Trust within the limits of Port of Kandla.

[No. PW/PGL-14/81]

का • का • क • 4 (क) — के म्हीय सरकार, सार्वजितक परिसर (अप्राविश्वत करूजे की बेवजाती) अधितियम, 1971 (1971 का 40) की धारा 3 द्वारा अंव ला विस्तरीं का प्रयोग करते हुए तीचे लिखे सारणी के स्तरूष (1) में लिखे अधिकारी को, जो तूतीकोरन पत्तन न्यास में भारत सरकार के राजपत्तित अधिकारी के रैक के समक्षण अधिकारी है, जकत अधिनयम के प्रयोगिक के लिए सम्पद्म अधिकारी नियुक्त करती है भौर वह उंग अभित्तर्थों का प्रयोग करेगा भीर वे कार्य करेगा जो उक्त अधिनियम द्वारा या इसके अधीन सम्पद्म अधिकारी को करने होते हैं। वह अपनी अस्तियों का प्रयोग और अपने कार्य अक्त सारणी के सतम्ब (2) में तर्वजुक्ति प्रविभिध्य में अस्तिवित्त सार्यजितिक परिसर के संबंध में अपने अधिकार ओव की स्वासीय सीमा में करेगा।

सारणी		
	मार्वजनिक परिसर भौर ग्रक्षिकार क्षेत्र की स्थानीय सीमाए	
	(2)	
सचिव, तृतीकोरिन पत्तन न्यास तृतीकोरिन	तूरीकोरित पत्तन-स्यास की सीम्माको के श्रम्दर तूरीकोरित पत्तन न्यास	

[सं० पी डब्ल्यू/पी जी एल- 14/81]

S.O. 94(E).—In exercise of the powers conferred by section 3 of the Public Premises (Eviction of Unauthorised Occupants) Act, 1971 (40 of 1971), the Central Government hereby appoints the Officer mentioned in column (1) of the Table below, being officer of the Tuticorin Port Trust equivalent to the rank of Gazetted officer of the Government of India to be Estate Officer for the purposes of the said Act, and who shall exercise the powers conferred and perform the duties imposed on Estate Officer by or under the said Act, within the local limits of his respective jurisdiction in respect of the public premises specified in the corresponding entry in column (2) of the said Table.

#### THE TABLE

Designation of the Officer	Categories of public premises and local limits of jurisdiction.
(1)	(2)
Secretary,	Premises of Tuticorin Port Trust
Tuticorin Port Trust,	within the limits of Port of
TUTICORIN	Tuticorin.

[No. PW/PGL-14/81]

का० शा० 95 (का) — केन्द्रीय सरकार, सार्वजितिक परिसर (श्रप्राधिकृत करूजे की बेदबाली) अधिनियम, 1971 (1971 का 4) की खारा 3 द्वारा प्रदत्त सक्तियों का प्रयोग करते हुए, नीचे लिखी सारणी को स्तम्भ (1) में लिखे अधिकारी को, जो परावीप पत्तन न्यास में भारन सरकार के राजपित्रत अधिकारी के रैक के समकक्ष अधिकारी है, उनत अधिनियम के प्रयोजन के लिए सम्पदा अधिकारी नियुक्त करती हैं और पह उन अक्तियों का प्रयोग करेगा और वे कार्य करेगा जो उन्त अधिनियम द्वारा या इस के अधीन सम्पदा अधिकारी की करने होते हैं। यह अपनी सित्यों का प्रयोग और अपने कार्य उन्त सारणी के स्तम्भ (2) में तदनुक्षी प्रविष्ट में उल्लिखित सार्वजितक परिसर के संबद्ध में अधिकार अधिकार के स्तम्भ परिसर के संबद्ध में अधिकार अधिकार के स्तम्भ में अपने अधिकार अधिकार के संबद्ध में अस्ति सार्वजितक परिसर के संबद्ध में अपने अधिकार अधिकार के संबद्ध में अस्ति सार्वजितक परिसर के संबद्ध में अपने अधिकार अधिकार के संबद्ध में अस्ति सार्वजितक परिसर के संबद्ध में अधिकार अधिकार के स्तम्भ स्तिमा में करेगा।

#### बारणी

पश्चिकारी का पदनाम	सार्वजनिकृ पर्यार गौर,ग्राधिकार क्षेत्र की स्थानीय ग्रीमाएं ————————————————————————————————————	
(1)		
सम्पदा अधिकारी, परादीप पत्तन म्बास परादीप	परावीप पक्षान की सीमाओं के अन्दर परादीप पक्षक न्यास परिसंद	

[बं॰ पी बब्स्यू/पी जी एल-14/81]

S.O. 95(E).—In exercise of the powers conferred by section 3 of the Public Premises (Eviction of Unauthorised Occupants) Act, 1971 (40 of 1971), the Central Government hereby appoints the officer mentioned in column (1) of the Table below, being officer of the Paradip Port Trust equivalent to the rank of a Gazetted Officer of the Government of India to be Estate Officer for the purposes of the said Act, and who shall exercise the powers conferred and perform the duties imposed on Estates Officer by or under the said Act, within the local limits of his respective jurisdiction in respect of the public premises specified in the corresponding entry in column (2) of the said Table.

#### THE TABLE

Designation of the Officer	Categories of public premises and local limits of jurisdiction		
(1)	(2)		
Estate Officer, Paradip Port Trust PARADIP.	Premises of Paradip Port Trust within the limits of Port of Paradip.		

[No. PW/PGL-14/81]

का० प्रा० 96 (प्र) — केन्द्रीय सरकार, मार्वजनिक परिसर (प्रप्राधिकृत कब्जे की बेदखली) प्रधिनियम, 1971 (1971 का 40) की धारा 3 द्वारा प्रदक्त शिक्तों का प्रयोग करने हुए नीचे लिखी सारणी के स्तम्भ (1) में लिखी प्रधिकारी को जो कोचीन पसन न्यास में भारत सरकार के राजपित्तत भिधकारी के रैंक के समकत भिक्तारी है, उक्त भिधिनियम, के प्रयोजन के लिए सम्पदा भिकारी नियुक्त करनी है भौर वह उन माक्तियों का प्रयोग करेगा भौर कार्य करेगा जो उक्त भिधिनियम द्वारा या इसके भिधीन सम्पदा भिकारी को करने होते हैं। यह प्रपत्ती णिक्तयों का प्रयोग और भपने कार्य उक्त सारणी के स्तम्भ (2) में तक्त्वणी प्रविष्ट में उल्लिखन सार्वजनिक परिसर के संबंध में भपने भिकार क्षेत्र की स्थानीय सीमा में करेगा।

#### सारणी

(1)	(2)	
उप भ्रष्टमक्ष, कोचीन पसन त्यास, कोचीन ।	कोचीन पलन की सीमाझों के धन्दर कोचीन पलन न्यास परिसर	

[सं० पी डब्स्बू/पी जी एल-14/81]

S.O. 96(E).—In exercise of the powers conferred by section 3 of the Public Premises (Eviction on Unauthorised Occupants) Act, 1971 (40 of 1971), the Central Government hereby appoints the Officer mentioned in column (1) of the table below, being officer of the Cochin Port Trust equivalent to the rank of a Gazetted officer of the Government of India, to be Estate Officer for the purposes of the said Act, and who shall exercise the powers conferred and perform the duties imposed on Estate Officer by or under the said Act, within the local limits of his respective jurisdiction in respect of the public premises specified in the corresponding entry in column (2) of the said Table.

THE TABLE			
Designation of the Officer	Categories of public premises and local limits of jurisdiction.		
(1)	(2)		
Deputy Chairman, Cochin Port Trust, COCHIN.	Premises of Cochin Port Trust within the limits of Pcri of Cochin.		

[No. PW/PGL-14/81]

का० ग्रां० 97(श्र) — केल्रीय सरकार, मार्वजनिक परिसर) अप्राधिकृत कब्जे की बेवखली) प्रधिनियम, 1971 (1971 का 40) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त गिक्सों का प्रयोग करते हुए, नीचे जिखी सारणी के स्तम्भ (1) में लिखें प्रधिकारी को जो सदास पत्तन न्याम में भारत सरकार के राजपित्रत स्थिकारी के रैक के समकक्ष अधिकारी है, उक्त अधिन्यम के प्रयोजन के लिए सम्पदा अधिकारी नियुक्त करती है भीर वह उन गवितयों का प्रयोग करेगा ग्रीर वे कार्य करेगा जो उक्त अधिनियम द्वारा या इसके अधीन सम्पदा अधिकारी को करने होते हैं। वह अपनी गवितयों का प्रयोग ग्रीर प्रपने कार्य उक्त सारणी के स्वम्भ (2) में तदनुष्टिंग प्रविष्टि में उपलिखित सार्वजनिक परिसर के संबंध में ग्रपने अधिकार क्षेत्र की स्थानीय सीमा में करेगा।

#### सारकी

 मधिकारी का पदनाम	सार्वजनिक परिसर भीर मधिकार क्षेत्र की स्थानीय सीमाएं	
(1)		
उप ग्रध्यका,	मद्रास पत्तन की सीमाओं के अन्वर	
मद्रास पत्तन न्यास	मद्रास पत्तन न्यास परिसर	
मद्राम-600001		

[सं० पी डब्स्यू/पी जी एल-14/81 दिनेश सुनार जैन, संयुक्त सजिब

S.O. 97(E).—In exercise of the powers conferred by section 3 of the Public Premises (Eviction of Unauthorised Occupants) Act, 1971 (40 of 1971), the Central Government hereby appoints the Officer mentioned in column (1) of the Table below, being officer of the Madras Port Trust equivalent to the rank of a Gazetted Officer of the Government of India, to be Estate officer for the purposes of the said Act, and who shall exercise the powers conferred and perform the duties imposed on Estate Officer by or under the said Act, within the local limits of his respective jurisdiction in respect of the public premises specified in the corresponding entry in column (2) of the said Table.

#### THE TABLE

Designation of the Officer	Categories of public premise and local limits of jurisdiction
(1)	(2)
Deputy Chairman, Madras Port Trust, MADRAS-600001.	Premises of Madras Port Trust within the limits of Port of Madras.

[PW/PGL-14/81] D.K. JAIN, Jt. Secy

-	•	